संख्या-35/2017/2417/22-2-2016-17(45)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री हिमायत खां, निवासी- जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28-10-2016 दिनांक 02-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री हिमायत खां, निवासी-सेजना, थाना-मझिला, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पारिवारिक रंजिश को लेकर दिनांक 19-05-1980 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी एवं कांता से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/1981 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 323, 302, 307 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 23-07-1981 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07-09-1988 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.03.2016 तक 27 वर्ष 06 माह 09 दिन की अपरिहार एवं 45 वर्ष 04 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 61 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के साथ हत्या जैसा अपराध घटित होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या, बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-24234) पुत्र श्री हिमायत खॉ, निवासी-जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2017/2417/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in